ब न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही।

विविध वाद संख्या – 42/2014–15

रौशन अली –बनाम– दयानन्द चौरसिया

तारिख	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति

आवेदक रौशन अली पिता स्व0 वारीस अली, निवास ग्राम कोनरा पो0 + थाना बरही, जिला हजारीबाग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन समर्पित किया है कि मौजा कोनरा थाना बरही थाना नं0 72, जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता सं0 78 प्लॉट नं0 1467 रकबा 4.20 ए0 भूमि के अवैध जमाबंदी को रद्द कर भूमि की मापी कर सीमांकित किया जाय। आवेदक के आवेदन एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता को सुना तदोपरान्त नोटिस निर्गत कर पक्षकारों को अपना–अपना लिखित तहरीर एवं अंचल अधिकारी, बरही से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

प्रथम पक्ष का कहना है कि मौजा कोनरा, थाना बरही, थाना नं0 72, जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0 78, प्लॉट नं0 1467 रकबा 4.20 ए0 भूमि जिसकी चौहदी उ0–शिवनारायण साव, द0–सीमाना हरीला, पू0–परती कदीम, प0– परती कदीम वाली भूमि बिहार भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा दिनांक 26.08.1958 को मेरे दादा छोटन मियां पिता तुराब मियां निवासी ग्राम कोनरा को हासील है। तत्पश्चात् अंचल अधिकारी, बरही द्वारा जमाबंदी कायम करते हुए पंजी II के पृष्ठ संख्या 165/12 पर छोटन मियां पिता तुराब मियां के नाम से दर्ज करते हुए सरकारी लगान रसीद निर्गत किया गया है, उक्त भूमि भूदान यज्ञ कमिटि से प्राप्त होने के पश्चात कडी मेहनत कर खेती योग्य बनाया तथा करिबन 50–55 वर्षो से मेरे दादा छोटन मियां उनके मरनोपरांत मेरे पिता वारीस अली तत्पश्चात् मेरा शांतिपूर्ण दखल कब्जा चला आ रहा हैं, अचानक 01 साल पूर्व से द्वितीय पक्ष के पिता के द्वारा उक्त भूमि पर अपना दावा करने लगें तथा कहने लगे कि इस जमीन को द्वितीय पक्ष ने हुकुमनामा से हासील किया है इस संबंध में अंचल कार्यालय से सम्पर्क करने पर पता चला कि द्वितीय पक्ष के पिता रामचन्द्र चौरसिया ने अवैध हुकुमनामा के आधार पर अंचल कार्यालय, बरही में अपने नाम से जमाबंदी कायम करवाकर सरकारी लगान रसीद प्राप्त कर रहे है प्रथम पक्ष का कहना है कि जिस हुकुमनामा द्वारा प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा दावा किया जा रहे हैं उक्त हुकुमनामा को द्वितीय पक्ष के पिता जिस वर्ष प्राप्त किये उस समय उनकी उम्र लगभग 7–8 वर्ष था ऐसी स्थिति से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा जाली हुकुमनामा बनाया गया है तथा जाली हुकुमनामा के आधार पर अंचल कार्यालय, बरही को अपने मेल में लेकर जमाबंदी कायम करवाया गया है, जो स्पष्टतः अवैध हैं। बिहार भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा निर्गत भूदान पर्चा तथा द्वितीय पक्ष के हुकुमनामा का छानबीन करने से स्पष्ट हो जायेगा कि प्रश्नगत भूमि का वास्तविक जमाबंदी धारक प्रथम पक्ष के दादा छोटन मियां है इसलिए द्वितीय पक्ष के पिता रामचन्द्र चौरसिया के नाम कायम जमाबंदी को रद्द किया जाय तथा भूमि का मापी करवाकर सिमांकन करवाने हेतु स्पष्ट आदेश अंचल अधिकारी, बरही को देने का कष्ट किया जाय।

द्वितीय पक्ष द्वारा लिखित जवाब दाखिल किया गया है जिसमें इन्होने उल्लेखित किया है कि आवेदक द्वारा विपक्षी का प्रश्नगत भूमि मौजा कोनरा थाना बरही थाना नं0 72, जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता सं0 78 प्लॉट नं0 1467 रकबा 4.20 ए0 का जमाबंदी रद्द करने हेतु विविध वाद दाखिल किया गया है वह खारिज करने के योग्य है क्योकि प्रथम पक्ष के

द्वारा जमाबंदी रैयत रामचन्द्र चौरसिया के सभी न्यायियक उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया हैं साथ ही आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि का सिमांकन करने का अनुरोध किया है इससे स्पष्ट है कि आवेदक प्रश्नगत भूमि पर दखलकार नहीं हैं। आवेदक का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उनके दादा छोटन मियां पिता तुराब मियां को भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा वर्ष–1958 ई0 में प्राप्त हुआ है तब से उनका उसपर दखल कब्जा है। इस वाद के शुरू होने के पश्चात अंचल अधिकारी, बरही के पत्रांक 448 दिनांक 01.09.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षी के आलावा भी मौजा कोनरा के कई व्यक्तियों के नाम से पूर्व जमीनदार द्वारा उक्त भूमि की बंदोबस्ती कि गई है तथा बन्दोबस्ती के तिथि से ही सम्बन्धित खाते कि भूमि पर दखलकार है तथा जमीनदारी उन्मूलन के पश्चात राज्य सरकार को लगान दे रहे है उक्त सभी जमाबंदीदारों को प्रथम पक्ष द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। अंचल अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन के पारा (xiv) में प्रतिवेदित है कि प्लॉट नं0 1467 रकबा 4.20 ए0 भूमि कि जमाबंदी पहली बार वर्ष 2000 – 2001 में छोटन मियां पिता तुराब मियां के नाम से कायम की गई है तथा अभियुक्ति कॉलम में सन्देहात्मक दर्ज है। न तो डिमान्ड और न ही लगान निर्धारण ही सक्षम पदाधिकारी के वाद संख्या–06/99–2000/07/2000–01 द्वारा किया गया है इस संबंध में न तो छोटन मियां और न ही उसके पुत्र वारीस अली द्वारा ही लगान निर्धारण अथवा डिमान्ड खोलने हेतु आवेदन दिया गया। आवेदक द्वारा भूदान यज्ञ कमिटि का गलत कागजात के आधार पर अंचल कार्यालय को मेल में लेकर जमाबंदी कायम करवाया गया है जो रद्द करने के योग्य है, विपक्षी के पिता के नाम से रकबा 4.20 ए0 का जमाबंदी कभी नहीं खुला, रामचन्द्र चौरसिया के नाम से रकबा 3.50 ए0 की जमाबंदी मौजा कोनरा थाना बरही थाना नं0 72, जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता सं0 78 प्लॉट नं0 146 में खुला तथा उनके दखल कब्जा मे रहा जो अंचल अधिकारी, बरही के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है। यहाँ यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि पूर्व में आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी, बरही के कार्यालय में प्रश्नगत भूमि के मापी से संबंधित आवेदन दिया गया था। मापी वाद सं0–37/10–11 द्वारा अंचल अधिकारी, बरही ने अंचल अमीन को सभी बन्दोबस्तीधारियों आवेदक सहित की उपस्थिति में मापी कार्य किया गया जिसमें प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा नहीं पाया गया जबकि अंचल अमीन द्वारा विपक्षी का दखल पाया तथा प्रतिवेदित किया गया कि मामला सिविल न्यायलय का बनता है।

विपक्षी के दादा छेदी बरई एक पान दुकान चलाते थे तथा पूर्व जमींदार राजा सुरेन्द्रनाथ कर्णदेव को प्रतिदिन पान पहुंचाते थे। छेदी बरई अपने पुत्र रामचन्द्र चौरसिया का शादी बचपन में ही श्याम सुन्दर देवी (विपक्षी की माँ) से कर दी तथा पूर्व जमींदार से अपने पुत्र रामचन्द्र चौरसिया तथा पुत्रवधु श्याम सुन्दर देवी के नाम से अपनी सेवा के बदले भूमि बन्दोबस्त करने का अनुरोध किया जिसके आलोक में सन् 1943 ई0 रामचन्द्र चौरसिया के नाम प्लॉट नं0 1467 में रकबा 3.50 ए0 भूमि एवं श्याम सुन्दर देवी के नाम प्लॉट सं0 1467 में ही रकबा 3.50 ए0 भूमि बन्दोबस्त किया गया जिसका लगान पूर्व जमींदार को तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात पुरानी पंजी–II में विपक्षी के माता एवं पिता के नाम दर्ज कर डिमान्ड खोला गया तथा सरकारी लगान रसीद निर्गत किया गया जो अंचल अधिकारी, बरही के प्रतिवेदन में स्पष्ट है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि विपक्षी के भाई प्रश्नगत भूमि का रकबा 3.50 ए0 भूमि में से रकबा

1.60 ए0 भूमि कॉलेज के निर्माण हेतु माननीय राज्यपाल बिहार सरकार को दान में दे दिया गया तथा इंटर कॉलेज बरही के नाम से दाखिल खारिज होकर सरकारी लगान रसीद निर्गत हो रहा है, जिसके कारण विपक्षी के माँ श्याम सुन्दर देवी का रकबा 3.50 ए0 से घटकर रकबा 1.90 ए0 भूमि का सरकारी लगान रसीद निर्गत हो रहा है। विपक्षी के दखल कब्जा के दावे को स्पष्ट करता है कि रेवन्यु ऑफिसर के जांच के आधार पर कमीशनर उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल हजारीबाग के आदेश वाद सं0 01/86–87 एवं 02/86–87 के आदेश के आलोक में यह दान किया गया। विपक्षी के पिता द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अनेकों पेड पौधे लगाये गये जिसका प्रमाण पत्र संबंधित विभाग द्वारा दिया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सूचना में अंचल अधिकारी बरही का प्रतिवेदन भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा प्रदत प्लॉट सं 1467 का सत्यापन नहीं करता है।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा बिना किसी पूख्ता दस्तावेज/सबूत के विपक्षी पर यह वाद लाये हैं उनका दावा गलत एवं जाली दस्तावेज पर आधरित है भूदान यज्ञ कमिटि को प्रश्नगत भूमि को बन्दोबस्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। पूर्व जमींदार द्वारा कभी भी मौजा कोनरा खाता सं0 78, प्लॉट सं0 1467 की भूमि भूदान कमिटि को नहीं दिया इसलिए भूमिदान यज्ञ कमिटि प्रश्नगत भूमि का बन्दोबस्ती करने का प्रश्न ही नहीं उठता। विपक्षी के माता पिता का प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा बन्दोबस्ती के तिथि से था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके न्यायायिक उत्तराधिकारियों का दखल कब्जा रहा जिसके आधार पर विपक्षी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बरही के शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण प्राप्त किये जिसका अवभार प्रमाण पत्र संबंधित विभाग द्वारा दिनांक 21.04.2008 को निर्गत किया गया है इसलिए आवेदक के आवेदन को रद्द किया जाय।

अंचल अधिकारी, बरही के पत्रांक 488 दिनांक 01.09.2015 द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें अंचलाधिकारी, बरही द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम कोनरा के खाता सं0 78, प्लॉट सं0 1467 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। ग्राम कोनरा का सर्वे खतियान हल्का एवं जिला अभिलेखागार में भी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्लॉट सं0 1467 का कुल रकबा का पता नहीं चल सकता है। वर्तमान पंजी–II में खाता सं0 78 प्लॉट 1467 से संबंधित निम्नलिखित लोगों की जमाबंदी कायम हैः–

1. वर्तमान पंजी–II के पेज नं0 157/11 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 3.30 ए0 भूमि की जमाबंदी मो0 इदरीश पिता फौदारी मियां के नाम से कायम है। उक्त जमाबंदी भूदान लगान निर्धारण वाद सं0 06/2000–2001/08/2000–01 अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही के आदेश से कायम है। प्लॉट सं0 1467 परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में अंकित है। लगान रसीद वर्ष 2000–01 से 2014–15 तक निर्गत है।
2. वर्तमान पंजी–II के पेज नं0 200/1B पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 3.50 ए0 भूमि की जमाबंदी रामचन्द्र चौरसिया पिता छेदी चौरसिया के नाम से कायम होकर लगान रसीद वर्ष 1990–91 से 2014–15 तक निर्गत है। परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में पुरानी पंजी के पेज नं0 260/1 से आया अंकित है। पुरानी पंजी–II का पेज सं0 260/1 का पन्ना फटा हुआ है।
3. वर्तमान पंजी–II के पेज नं0 2/6 पर खाता सं0 78, कुल रकबा 3.50

ए0 भूमि की जमाबंदी श्याम सुन्दर देवी पति रामचन्द्र चौरसिया के नाम से कायम होकर रसीद वर्ष 1985–86 से 2014–15 तक निर्गत है। उक्त जमाबंदी भोलूम–1 के पृष्ट सं0 1 से आया अंकित है। भोलूम 1 के पृष्ट संख्या 1 का पन्ना फटा हुआ है। वर्तमान में उक्त जमाबंदी का रकबा घटकर 1.90 ए0 बचता है।

4. वर्तमान पंजी–॥ के पेज नं0 18/8 पर खाता सं0 78 कुल रकबा 2.19 ए0 भूमि की जमाबंदी बरही महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु महामहिम राज्यपाल बिहार प्रदेश को दान से प्राप्त के नाम से कायम होकर रसीद वर्ष 1992 –93 से 2006–07 तक निर्गत है। परिवर्तन प्राधिकार के कॉलम में अंचल अधिकारी, बरही के दाखिल खारिज वाद सं0 195/87–88 दिनांक 20.08.1987 द्वारा कायम है, जो अंकित है।
5. वर्तमान पंजी–॥ के पेज नं0 72/2 पर खाता सं0 78, कुल रकबा 4.20 ए0 भूमि की जमाबंदी बासुदेव प्रसाद (रॉनियार) पिता रघुनन्दन साहु के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0 910/66 के द्वारा कायम होकर लगान रसीद वर्ष 1969–70 से 2007–08 तक निर्गत है। उक्त जमाबंदी से 0.58 ए0 रकबा घटकर वर्तमान में 3.62 ए0 भूमि की जमाबंदी कायम है।
6. वर्तमान पंजी–॥ के पेज नं0 73/2 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 4.20 ए0 भूमि की जमाबंदी श्रीमती कुमारी देवी पति रघुनन्दन साहु के नाम से दाखिल खारिज केश नं0 909/66 के द्वारा कायम है। उक्त जमाबंदी से रकबा घटकर वर्तमान में 3.10 ए0 भूमि की जमाबंदी कायम होकर रसीद वर्ष 1969–70 से 2007–08 तक निर्गत है।
7. वर्तमान पंजी–॥ के पेज नं0 52/6 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 0.60 ए0 भूमि की जमाबंदी कारू प्रसाद केशरी पिता गाजो प्रसाद केशरी के नाम से दाखिल खारिज केश नं0 360/91–92 के द्वारा कायम होकर रसीद वर्ष 1991–92 से 2011–12 तक निर्गत है।
8. वर्तमान पंजी–॥ के पेज नं0 217/1 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 4.22 ए0 भूमि की जमाबंदी शिवनारायण साहु पिता देवनाथ साहु के नाम से कायम है। उक्त जमाबंदी से रकबा घटकर वर्तमान में 4.00 ए0 भूमि की जमाबंदी कायम होकर रसीद वर्ष 1961–62 से 2010–11 तक निर्गत है।
9. वर्तमान पंजी–॥ के पेज नं0 207/1 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 5.63 ए0 भूमि की जमाबंदी शिवनारायण साहु पिता देवनाथ साहु के नाम से कायम होकर रसीद वर्ष 1961–62 से 2010–11 तक निर्गत है।
10. वर्तमान पंजी–॥ के पेज नं0 37/5 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 0.58 ए0 भूमि की जमाबंदी शिवनारायण साव पिता देवनारायण साव के नाम से दाखिल खारिज केश नं0 3/72–73 दिनांक 01.03.1973 द्वारा कायम होकर रसीद वर्ष 1972–73 से 2009–10 तक निर्गत है।
11. वर्तमान पंजी–॥ के पेज नं0 29/16 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 4.20 ए0 भूमि की जमाबंदी राम यश प्रसाद पिता सहदेव प्रसाद के नाम से कायम होकर रसीद वर्ष 2008–09 से 2009–10 तक निर्गत है। परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में पंजी–॥ के पेज सं0 74/2 से आया अंकित है।
12. वर्तमान पंजी–॥ के पेज नं0 29/6 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 8.61 ए0 भूमि की जमाबंदी इन्दो देवी पति भूनेश्वर ठाकुर के नाम से कायम है। उक्त जमाबंदी में रकबा घटकर 8.39 ए0 भूमि रसीद वर्ष 1975–76 से 2009–10 तक निर्गत है। उक्त जमाबंदी पुरानी पंजी–॥

के पेज नं0 4/1 से आया अंकित है।

13. वर्तमान पंजी–II के पेज नं0 117/16 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 10.37 ए0 भूमि की जमाबंदी महादेव ठाकुर पिता भुनेश्वर ठाकुर के नाम कायम होकर रसीद वर्ष 1992–93 से 2010–11 तक निर्गत है। परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में पेज सं0 259/1 से आया अंकित है।

14. वर्तमान पंजी–II के पेज नं0 165/12 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 4.20 ए0 भूमि की जमाबंदी छोटन मियां पिता तुराब मियां के नाम से कायम होकर रसीद वर्ष 2000–01 से 2006–07 तक निर्गत है। परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में लगान निर्धारण वाद सं0 06/99–2000/07/2000–01 अंकित है एवं उक्त जमाबंदी के उपर संदेहात्मक अंकित है।

15. वर्तमान पंजी–II के पेज नं0 183/1 पर खाता सं0 78 में कुल रकबा 2.10 ए0 भूमि की जमाबंदी गिरजा राम पिता बाढो राम के नाम से विविध वाद सं0 02/96–97/58/98–99 अनुमण्डल पदाधिकारी के आदेश से दिनांक 12.01.1999 द्वारा कायम होकर रसीद वर्ष 2011–12 तक निर्गत है।

हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा किये गये स्थानीय जांच प्रतिवेदनानुसार खाता सं0 78, प्लॉट सं0 1467, रकबा 7.00 ए0 भूमि जिसमें 3.50 ए0 भूमि पर दयानन्द चौरसिया पिता स्व0 रामचन्द्र चौरसिया एवं रकबा 1.90 ए0 भूमि पर श्याम सुन्दर देवी पति स्व0 रामचन्द्र चौरसिया दखलकार है, जिसका लगान रसीद वर्ष 1953–54 से वर्ष 2014–15 तक अद्यतन है। अंचल अधिकारी, बरही के अमीन प्रतिनियुक्ति वाद सं0 37/10–11 में अचंल अमीन द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि प्लॉट सं0 1467 का नक्शा एवं खतियानी रकबा 30.30 ए0 है जबकि रैयतों द्वारा का कुल रकबा 40.00 ए0 का कागजात दिया गया है।

पुनः प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 07.09.2016 को लिखित तहरीर दाखिल किया गया है तथा दिनांक 27.08.2019 को लिखित बहस दाखिल किया गया, जिसमें इन्होने विपक्षी के नाम से प्रश्नगत भूमि के कायम जमाबंदी को अवैध बताते हुए उसे रद्द करने तथा आवेदक के नाम से सरकारी लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, अंचल अधिकारी, बरही के जांच प्रतिवेदन, दोनों पक्षों का लिखित जवाब एवं दोनों पक्षों का विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्रश्नगत भूमि मौजा कोनरा खाता सं0 78, थाना नं0 72, प्लॉट सं0 1467 रकबा 4.20 ए0 भूमि प्रथम पक्ष के दादा छोटन मियां पिता तुराब मियां के नाम से पंजी–II के पेज नं0 165/12 पर कुल रकबा 4.20 ए0 भूमि की जमाबंदी कायम है तथा सरकारी लगान रसीद वर्ष 2000–01 से 2006–07 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा वर्ष 1958 में प्राप्त पर्चा के आधार पर अंचल अधिकारी, बरही के लगान निर्धारण वाद सं0 06/99–2000 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के लगान निर्धारण वाद सं0 07/2000–01 में पारित आदेश से उक्त जमाबंदी कायम की गयी है। अनुमण्डल कार्यालय बरही में संधारित भूदान लगान निर्धारण पंजी के पृष्ट सं0 11 पर छोटन मियां पिता तुराब मियां ग्राम कोनरा से संबंधित लगान निर्धारण की स्वीकृति दी गयी है तथा कार्यालय पत्रांक 49/रा0, दिनांक 24.05.2000 द्वारा उक्त लगान निर्धारण अभिलेख अंचल अधिकारी, बरही को भेजा गया है दर्ज है। ऐसी स्थिति में

उक्त जमाबंदी को संदेहात्मक नहीं माना जा सकता है। अंचल अधिकारी, के कार्यालय में संधारित पंजी–॥ के प्राधिकार कॉलम में संदेहात्मक अंकित है लेकिन संदेहात्मक किस सक्षम पदाधिकारी के आदेश से अंकित है दर्ज नहीं है। अतएव आवेदक के दादा छोटन मियां पिता तुराब मियां के नाम से कायम जमाबंदी नियमितिकरण की श्रेणी में आता है। दूसरी तरफ विपक्षी के पिता रामचन्द्र चौरसिया का प्रश्नगत खाता सं0 78, प्लॉट सं0 1467, रकबा 3.50 ए0 भूमि की जमाबंदी वर्तमान पंजी–॥ के पेज नं0 200/13 पर कायम है। रसीद वर्ष 1990–91 से 2014–15 तक निर्गत है। परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में पुरानी पंजी के पेज नं0 260/। से आया अंकित है। पुरानी पंजी–॥ के पेज नं0 260/ । का पन्ना फटा हुआ है। विपक्षी द्वारा जमाबंदी कायम होने का आधार पूर्व जमींदार राजा सुरेन्द्रनाथ कर्णदेव द्वारा वर्ष 1943 में विपक्षी के पिता रामचन्द्र चौरसिया एवं माता श्याम सुन्दर देवी को प्रश्नगत भूमि पर अलग अलग रकबा 3.50 ए0 एवं 3.50 ए0 भूमि का हुकुमनामा द्वारा कायम किया गया बताया गया है लेकिन विपक्षी द्वारा न तो हुकुमनामा से संबंधित कोई कागजात एवं न ही पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल किये गये रिटर्न की कोई प्रति न्यायालय में दाखिल किया गया है साथ ही अंचलाधिकारी, बरही द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रामचन्द्र चौरसिया के नाम से वर्तमान पंजी–॥ के पेज नं0 200/IB पर कायम जमाबंदी पुरानी पंजी के पेज नं0 261/। से आया है। पुरानी पंजी–॥ के पेज नं0 261/। का पन्ना फटा हुआ है तथा विपक्षी के माता श्याम सुन्दर देवी के नाम से वर्तमान पंजी–॥ के पेज नं0 2/6 पर कायम जमाबंदी भोलूम–। के पृष्ट सं0 01 का पन्ना फटा हुआ है। अंचल अधिकारी, बरही द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि जमाबंदी कायम होने का आधार क्या है दोनों स्थितियों में पुरानी पंजी–॥ का पन्ना फटा हुआ है जो संदेह उत्पन्न करता है। साथ ही विपक्षी द्वारा जमाबंदी कायम होने से संबंधित कोई कागजात न्यायालय को न दिखाना तथा माता पिता दोनों को बचपन में ही जमींदारी हुकुमनामा एक ही दिन प्राप्त होना भी संदेह उत्पन्न करता है जो आवेदक द्वारा विपक्षी के जमाबंदी के अवैध होने की बात को सबल बनाता है। इस प्रकार विपक्षी के माता पिता के नाम से कायम जमाबंदी संदेहात्मक प्रतीत होता है तथा आवेदक के दादा छोटन मियां पिता तुराब मियां के नाम से कायम जमाबंदी सक्षम पदाधिकारी के आदेश से कायम की गयी है। परन्तु इसके बावजूद लंबे समय से चले आ रहे किसी भी जमांबदी को रद्द करने की अधिकारिता अधोहस्ताक्षरी न्यायालय को नहीं है। साथ ही प्रश्नगत भूमि पर अंचल अमीन द्वारा मापी के दौरान पाया गया कि प्लॉट सं0 1467 का नक्शा एवं खतियानी रकबा 30.30 ए0 है जबकि रैयतों के पास रकबा 40.00 ए0 भूमि का कागजात जमा किया गया है। इससे स्पष्ट है कि रकबा से अधिक भूमि की जमाबंदी कायम की गयी है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में अचंल अधिकारी, बरही को आदेश दिया जाता है कि मौजा कोनरा खाता सं0 78, प्लॉट सं0 1467 से संबंधित कायम सभी जमाबंदियों के रैयतों से कागजात की मांग कर जांचोपरान्त जमाबंदियों के [illegible]करण/नियमितिकरण संबंधी अभिलेख खोलकर नियमानुकूल प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित किया जाय।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, बरही को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by AJAY BHAGAT
Date: 2024.06.18 18:29:35 +05:30
Location: 192.168.1.37